

प्रेस नोट थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर दिनांक 14.11.2024

कूटरचित दस्तावेज व अवैध अवमुक्त आदेश तैयार कर धोखाधड़ी से सीजशुदा वाहनों को अवमुक्त कराने के आरोप में 01 नफर ईनामिया वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी खजनी के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक सिकरीगंज के नेतृत्व में उ0नि0 अतुल कुमार राय मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 187/2024 धारा 419,420,467,468,471 भादवि से संबंधित ईनामिया वांछित अभियुक्त चंदन पुत्र कल्लू को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्तगण द्वारा कूटरचित तरीके से अवैध अवमुक्त आदेश तैयार कर थाना स्थानीय पर सीजशुदा वाहनों को अवमुक्त करा लेने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

चंदन पुत्र कल्लू निवासी कम्हारी थाना पडरी जनपद मिर्जापुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 187/2024 धारा 419,420,467,468,471 भादवि थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 अतुल कुमार राय थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर
2. का0 मृत्युजय सिंह थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर

जनसुनवाई से प्राप्त प्रार्थना पत्र व कायमी मु०अ०स० 309/2024 धारा –137(2) भारतीय न्याय संहिता -----..इस समय जनसुनवाई से प्राप्त प्रार्थना आवेदक एजाज अहमद पुत्र स्व० मुसाफिर सा० महादेवा वाजार थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर मो०न० 8188926046 का वावत प्रतिवादी द्वारा वादी की पुत्री रिया उम्र- साढे सत्रतरह वर्ष को बहला फुसला कर भगा ले जाने के सम्बन्ध मे प्राप्त हुआ व जिस पर आदेशित थानाध्यक्ष महोदय HM/CM अभियोग पंजीकृत करे SO हस्ताक्षर अपठनीय दिनांकित 10.07.2024 प्राप्त हुआ प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर कायमी मु०अ०स० 309/2024 धारा – 137(2) भारतीय न्याय संहिता दि० घटना- 09.07.2024 समय 14.00 वजे घटनास्थल – महादेवा वाजार व फासला 6 कि०मी०सूचना कायमी रपट हाजा बमुदैयत वादी एजाज अहमद पुत्र

स्व0मुसाफिर सा0 महादेवा वाजार थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर उपरोक्त बनाम 1.राज मद्देशिया पुत्र अज्ञात सा0अज्ञात 2. राज मद्देशिया का दोस्त नाम पता अज्ञात का अभियोग उ0नि0 आदित्य उपाध्याय को कायम किया गया । डेली जरायम रवाना होगी । तकमिला सम्बन्धित रजिस्ट्रान होगा । घटना की सूचना जरिये उचित माध्यम अफसरान बाला को दी जा रही है । नकल चिक ,नकल रपट वास्ते विवेचना व आवश्यक कार्यवाही हेतु उ0नि0 आदित्य उपाध्याय को वरवक्त वापसी दिया जायेगा